न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 12 / 2021 / जैसलमेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. सवाईसिंह पुत्र बुधसिंह वगै. **बनाम** 1.मीरकंवर पत्नी स्व. आसूसिंह वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री तरूण व्यास अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 4 / 1, 4 / 3 से 5 / 4, 11 / 1, 11 / 2 की ओर से।
3. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 22 से 24 व 29 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–21.12.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांटस ने बहस में कोई विशेष कथन नहीं करते हुए धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही अपनी बहस बताया। अपीलांट संख्या 05 उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह स्वयं ने उप. होकर धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर वक्त सेटलमेंट से अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरित जाकर अपीलाधीन आराजी की तरमीम की गई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान अपीलकर्ता को इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। रेस्पोडेंटस प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल करने हेतु तरमीम की कार्यवाही कर रहे थे तब डिक्री दिनांक 20.01.2006 पारित होने की जानकारी हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 4 / 1, 4 / 3 से 5 / 4, 11 / 1, 11 / 2ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 20.01.2006

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

को यानि तकरीबन 16 वर्ष 06 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 20.01.2006 को हो गई थी। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेष कियेः–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 22 से 24 व 29 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 20.01.2006 को यानि तकरीबन 15 वर्ष 06 माह के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 20.01.2006 को हो गई थी। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान कब हुआ इस बात की जानकारी प्रार्थना–पत्र में दिनांक रिक्त पड़ी है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेष कियेः–

S.B. CIVIL MISCELLANEOUS APPEAL NO. 4954@2017
CIVIL APPEAL NO 7696 OF 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2006 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी कब हुई दिनांक नहीं बताई गई। अपीलांटगण द्वारा अपील के साथ पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान कब हुआ अंकित नहीं किया गया तथा निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कब प्रस्तुत किया गया तथा आलोच्य निर्णय की नकले कब प्राप्त हुई दौनों रिक्त है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2006 के विरूद्ध हस्तगत अपील दिनांक 27.07.2021 को दर्ज की गई देरी का कोई कारण नहीं बताया गया जबकि अपील तकरीबन 15 वर्ष 06 माह की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर